उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, बीदासर (चूरू)

पीठासीन अधिकारी :– श्री श्योराम वर्मा, आर.ए.एस.

3 4/18

दायरा दिनांकः–6.01.2010

1. कमला पुत्री मघादास पत्नि तुलसीदास जाति साद निवासी पारेवडा हाल निवासी खोखराना तहसील लुणकरणसर जिला बीकानेर
2. बजरंगलाल दत्तक पुत्र मघादास जाति साद निवासी पारेवडा हाल निवासी खोखराना तहसील लुणकरणसर जिला बीकानेर

वादीगण

बनाम

1. भूरी पुत्री मघादास पत्नि परतदास जाति साद निवासी पारेवडा तहसील बीदासर जिला चूरू
2. शाखा प्रबन्धक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा सुजानगढ जिला चूरू
3. राजस्थान सरकार जरीये तहसीलदार बीदासर जिला चूरू
4. उप पंजीयक बीदासर जिला चूरू

प्रतिवादीगण

राजस्व वाद संयुक्त खातेदारी कृषि भूमि का विधिवत रूप से विभाजन व चिर निषेधाज्ञा की डिग्री प्राप्ति बाबत।

उपस्थित :– 1. श्री मनोज गोदारा एडवोकेट– वकील वादीगण

2. पेरोकार राज

–: निर्णय :–

दिनांक :–13.11.2019

प्रस्तुत वाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से है कि वादीगण के पिता स्व. मघादास के समय से ग्राम पारेवडा तहसील बीदासर में खेत खसरा संख्या 371 तादादी 0.6197 हेक्टेयर व खसरा संख्या 580 तादादी 7.5499 हेक्टेयर व खसरा संख्य 581 तादादी 0.7588 हेक्टेयर कुल किता 3 कुल रकबा 8.9284 हेक्टेयर कब्जा काश्त के खातेदारी के स्थित है। मघदास की मृत्यु सन् 1984 में हो गई। तत्पश्चात् मघादास के वारिसान वादीगण तथा प्रतिवादीनी संख्या 1 और मघादास की अन्य पुत्रियां सुंदर, धापु, सीता, मीरा के नाम से बहिब वादीगण का नातान्तरकरण दर्ज हुआ। वर्तमान में खातेदारी प्रतिवादी संख्या 1 एक हिस्सा 5/7 राजस्व रेकार्ड में दर्ज है तथा वादीनी कमला के 1/7 हिस्सा व वादी बजरंगलाल के 1/7 हिस्सा दर्ज है। इसी हिस्सा के मुताबिक वादीगण की काश्तकारी है। वादीनी संख्या 1 स्व. मघादास की पुत्री है व वादी संख्या 2 स्व. मघदास का दत्तक पुत्र है, जिसका पंजीकृत गोदपत्र उप पंजीयक सुजानगढ के पास दिनांक 14.5.1982 है। वादी संख्या 2 सरकारी नौकरी के कारण बाहर रहता है और वादीनी संख्या 1 को भी अपने पति तुलसीदास की सरकारी नौकरी के कारण खोखराना रहना पडता है। प्रतिवादीनी संख्या 1 की नियत खराब हो गई है और वादीगण के खेत के हिस्से को किसी तरह से नाजायज तरीके से हडपना चाहती है। खेतों की काश्तकारी तथा उपयोग उपभोग में वादीगण के बाधा उत्पन्न करना चाहती है। इस कारण सामिलाती

Signature Not Verified
Digitally signed by Sheoram Verma
Date: 2021.03.01 17:20:17 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बीदासर जिला-चूरू सत्यमेव जयते

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर

प्रतिवादी संख्या 1 से खातेदारी भूमि का विभाजन करवाने ... प्रतिवादी संख्या 1 ने साफ इनकार कर दिया। वादीगण को बाधा उत्पन्न नहीं करने को कहा तो प्रतिवादी संख्या 1 ने साफ इनकार कर दिया। यही वाद हेतुक है। वादीनी को वादाधार संयुक्त खातेदारी कब्जाधारी एंव काश्तकार होने से प्राप्त है। प्रतिवादी संख्या 1 का यह उत्तरदायित्व है कि वोह वादीगण को उनके हिस्सा का अलग विभाजन करवाकर राजस्व रेकार्ड में दर्ज करवाने तथा अलग से लगान कायम करवायें। दावा विभाजन हेतु एक रूपये की न्याय शुल्क पर और चिर निषेधाज्ञा प्राप्ति हेतु एक रूपये की न्याय शुल्क पर कुल दौ रूपये की न्याय शुल्क पर अंदर मियाद पेश है। वादगत भूमि श्रीमानजी के क्षेत्राधिकार में स्थित होने से न्यायालय को श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार प्राप्त है।

राजस्व वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरीये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 2 ने अपनी हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 को विक्रय कर दी, इस कारण प्रतिवादी संख्या 2 जतनकंवर का नाम हटाया गया। प्रतिवादी संख्या 1, 3 व 5 बावजुद तामिल न्यायालय में अनुपस्थित रहने पर उनके खिलाफ प्रकरण में एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई तथा राजस्थान सरकार की ओर से पेरोकार राज ने प्रकरण में राजहित निहित नहीं होना अंकित किया है। पत्रावली में बहस एक पक्षीय वकील वादी की सुनी गई। बहस में वकील वादी ने दावे में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए अपना वाद ''बाई मिटस एण्ड बाउण्डस'' के आधार पर खाता अलग कर विभाजन किए जाने का निवेदन किया गया।

वकील वादी की एक पक्षीय बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। न्यायालय के समक्ष यह स्वीकृत स्थिति है कि वादगत खेत खसरा संख्या 371 तादादी 0.6197 हेक्टेयर व खसरा संख्या 580 तादादी 7.5499 हेक्टेयर व खसरा संख्य 581 तादादी 0.7588 हेक्टेयर कुल किता 3 कुल रकबा 8.9284 हेक्टेयर वाके रोही पारेवडा तहसील बीदासर जिला चूरू में उतरी साईड की 27 [illegible] गण के कब्जा काश्त की है तथा जो अभिवचन वादीगण द्वारा कि[illegible] आक्षेप इस न्यायालय में किसी भी व्यक्ति द्वारा नहीं किया गया है तथा [illegible] गण द्वारा प्रस्तुत अभिवचनों को नहीं मानने का कोई कारण पत्रावली पर नहीं है। अतः वा[illegible]ण का वाद खाता विभाजन का स्वीकार किया जाकर वादगत खेत खसरा संख्या 371 तादादी 0.6197 हेक्टेयर व खसरा संख्या 580 तादादी 7.5499 हेक्टेयर व खसरा संख्य 581 तादादी 0.7588 हेक्टेयर कुल किता 3 कुल रकबा 8.9284

Signature Not Verified
Digitally signed by Sheoram Verma
Date: 2021.03.01 17:20:17 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी

...वाके रोही पारेवडा में सें वादीगण की उतरी साईड की 2/7 हिस्सा भूमि का विभाजन कर ...री अलग से दर्ज किए जाने योग्य है।

सम्पूर्ण पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। सम्पूर्ण पत्रावली के अवलोकन से यह तथ्य सामने आया है कि वादीगण मुताबिक रेकार्ड व मौका कब्जा काश्त के अनुसार विभाजन चाहा रहे है जो न्यायोचित प्रतीत होता है। प्रस्तुत वाद में वादीगण एंव प्रतिवादी संख्या 1 का संयुक्त खातेदारी के खेत खसरा संख्या 371 तादादी 0.6197 हेक्टेयर व खसरा संख्या 580 तादादी 7.5499 हेक्टेयर व खसरा संख्य 581 तादादी 0.7588 हेक्टेयर कुल किता 3 कुल रकबा 8.9284 हेक्टेयर वाके रोही पारेवडा में स्थित है जो कि संयुक्त खातेदारी की भूमि है। उक्त वादगत भूमि नें राजस्व रेकार्ड के अनुसार वादीगण का 2/7 हिस्सा बहिब प्रमाणित है। वादीगण की 2/7 हिस्सा भूमि उतरी साईड की भूमि है जिसका वादीगण विभाजन करवाने के अधिकारी है तथा वादीगण ने अपने बयानों में भी उक्त तथ्यों की ताईद की है। अतः वादगत भूमि में सें उतरी साईड की 2/7 हिस्सा भूमि का विभाजन किया जाना उचित प्रतीत होता है तथा राजस्व रेकार्ड में अलग खातेदारी दर्ज की जाकर लगान अलग कायम किये जाने योग्य है।

—: आदेश :—

अतः वादीगण का वाद विभाजन का स्वीकार किया जाकर प्रारम्भिक डिक्री इस प्रकार जारी की जाती है कि वादगत खेत खसरा संख्या 371 तादादी 0.6197 हेक्टेयर व खसरा संख्या 580 तादादी 7.5499 हेक्टेयर व खसरा संख्य 581 तादादी 0.7588 हेक्टेयर कुल किता 3 कुल रकबा 8.9284 हेक्टेयर वाके रोही पारेवडा तहसील बीदासर जिला चूरू में सें उतरी साईड की 2/7 हिस्सा भूमि वादीगण के बहिब अलग खातेदारी में दर्ज की जाकर लगान का विभाजन अलग से किया जावे। शेष भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम अलग खातेदारी में बैंक रहन सहित यथावत रखी जावे। तदनुसार प्रारम्भिक डिक्री जारी हो। प्रारम्भिक डिक्री जारी होकर विभाजन प्रस्ताव व आदेश की पालना हेतु तहसीलदार बीदासर को लिखा जावे। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करें।
निर्णय आज दिनांक 13.11.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बीदासर जिला चूरू
सत्यमेव जयते

Signature Not Verified
Digitally signed by Sheoram Verma
Date: 2021.03.01 17:20:17 IST
Reason: SelfAttested